संख्या:1260/78-1-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सावजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2022

विषय: अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 (छायाप्रति संलग्न) को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट आफ वे रूल्स 2016" निर्गत किया गया, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट आफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश सं0. 852/78-1-2018-45 आईटी/2016 दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. भारत सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 में संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 के द्वारा किये गये संशोधनों को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 852/78-1-2018-45 आईटी/2016 दिनांक 15 जून, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 25-11-2022 11:54:52
Reason: Approved

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा. विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
13. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

2196953/2022/00 0 -1

अनुलग्नक - I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938
No. 794] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 10,12 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमिगत अवसंरचना (आप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन तार अवसंरचना जिन्हें स्थापित किया जाना है या जिनका रख-रखाव किया जाना है, के अधीन, के ऊपर, के साथ, के सामने उसमें या उस पर संपत्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित ऐसे प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है ;

(ग) "राज्य सरकार" से अधिकारिता रखने वाली राज्य सरकार और जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है, अभिप्रेत है ;

(vii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय ;

(viii) कोई अन्य सुसंगत मामला जो अनुज्ञप्तिधारी की राय में किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य से सहवद्ध या सुसंसगत हो ;

(ix) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए कार्य में सहवद्ध या संबंधित कोई अन्य मामला ;

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन करते समय, कि क्या वह नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के युक्तियुक्त और प्रशायुक्त विस्तार तक प्रत्यास्थापन के लिए दायित्व के निर्वहन का जिम्मा लेता है, पर विनिर्दिष्ट अभिबंधन देगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस एक हजार रुपए प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

6. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा का प्रदान किया जाना .-

(1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात् :-

(क) प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के लिए योजनाबद्ध मार्ग और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तार अवसंरचना के या तो स्थापन या रख-रखाव में संभाव्य बाधा ;

(ख) निष्पादन की रीति ;

(ग) कार्य के निष्पादन की समयावधि और दिन का वह समय जब प्रस्तावित कार्य निष्पादित किया जाना है ;

(घ) व्ययों जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, का प्राक्कलन ;

(ङ) कोई नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन का दायित्व ;

(च) लोक सुरक्षा और असुविधा जो प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप लोक को कारित होना संभाव्य, को सुनिश्चित करने हेतु उपायों और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा में कमी करने हेतु उपायों का निर्धारण ;

(छ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापन या रखरखाव से सहवद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला ;

(2) समुचित प्राधिकारी नियम 5 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा –

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अंतर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इस नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा ; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन अस्वीकार करना :

अध्याय – 3

भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन – (1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेजों से समर्थित आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से जो समुचित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए, उस समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन में समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रदान की जाने वाली सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति ;

(ii) चौकी या उपरोक्त वृत्ताकार प्रयुक्ति जिसका स्थापन किया जाना प्रस्तावित है, की प्रकृति और अवस्थिति, जिसके अंतर्गत सटीक अक्षांश और देशांतर रेखांश भी है ;

(iii) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार ;

(iv) भवन या संरचना के ब्यौरे, जहां भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया जाना प्रस्तावित है ;

(v) रेडियो तरंगों या हर्टजियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारी जारी अनुमोदन की प्रति ;

(vi) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;

(vii) असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और विनिर्दिष्ट उपाय जो ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित है;

(viii) कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय;

(ix) चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की तकनीकी परिकल्पना और रेखाचित्र के ब्यौरे;

(x) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;

(xi) भवन की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणपत्र, जहां चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियां भवन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;

(xii) किए गए आवेदन की बाबत पत्र व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के नाम और संपर्क ब्यौरे ;

(xiii) जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य से सहवद्ध या के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी की राय में कोई अन्य सुसंगत मामला;

(xiv) केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से कार्य जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, से सहवद्ध या से सुसंगत कोई अन्य मामले ;

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा ।

परंतु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए एक बारगी फीस एक हजार रूपयों से अधिक नहीं होगी ।

10. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान किया जाना – (1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात् :-

(क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार ;

(ख) प्रस्तावित अवस्थिति ;

(ख) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव का कार्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाए।

12. समुचित प्राधिकारी की कार्य के पर्यवेक्षण की शक्ति – (1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव का पर्यवेक्षण कर सकेगा ;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय – 4

समुचित प्राधिकारी के भूमिगत और भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का हटाया जाना चाहने का अधिकार

13. समुचित प्राधिकारी का हटाया जाना चाहने, इत्यादि का अधिकार – (1) जहां समुचित प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उस समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या उसके अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन, उस पर, उसके साथ, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर किसी भूमिगत या भूमि के ऊपर स्थापन से उत्पन्न हुई है, यह विचार करता है कि ऐसी तार अवसंरचना को हटाया जाना या परिवर्तित करना आवश्यक और समीचीन है वह ऐसी तार अवसंरचना का स्वामी होते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अवस्थिति हटाने या परिवर्तित करने हेतु नोटिस जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल और तीस दिवस की अवधि के भीतर, ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या उसके परिवर्तन के लिए विस्तृत योजना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना की परीक्षा के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा

परंतु यह कि समुचित प्राधिकारी, ऐसी तार अवसंरचना के हटाए जाने या परिवर्तित के जाने के लिए अपेक्षित आपातिक और समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी तार अवसंरचना को हटाने या परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नब्बे दिवसों से अन्यून युक्तियुक्त समय देगा :

परंतु यह और कि उत्तरदायित्व और दायित्व जिसके अंतर्गत ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या परिवर्तित की लागत भी है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी।

अध्याय 5

विवादों का समाधान

14. अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य विवाद – (1) इन नियमों के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर, उप नियम (1) के अधीन विवादों को निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, अधिकारी को ऐसी अधिकारिता के साथ जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, पदाभिहित करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों का अवधारण साठ दिवसों से अनधिक की अवधि में ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, करेगा।

[फा. सं. 2-6/2014-नीति- I(जिल्द-2)]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

2196953/2022/00 0 -1

(i) a copy of the licence granted by the Central Government;

(ii) the details of underground telegraph infrastructure proposed to be laid;

(iii) the mode of and the time duration for, execution of the work;

(iv) the time of the day when the work is expected to be done in case the licensee expects the work to be done during specific time of the day;

(v) the details of expenses that such appropriate authority will necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken by the licensee;

(vi) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

(vii) the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

(viii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and

(ix) any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority:

Provided that the licensee shall, while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the damage that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that such fee to meet administrative expenses shall not exceed one thousand rupees per kilometer.

6. **Grant of permission by appropriate authority.**- (1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

(a) the route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the possible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route;

(b) the mode of execution;

(c) the time duration for execution of the work and the time of the day that the work is proposed to be executed;

(d) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;

(e) the responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;

(f) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;

(g) any other matter, consistent with the provisions of the Act and these rules, connected with or relative to the establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure, through a general or special order, by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority.

(2) The appropriate authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 5-

(a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration charge, as may be specified, subject to the provisions of the Act and these rules; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under (a) or reject the application under (b); and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

2196953/2022/00 0 -1

(viii) the measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

(ix) the detailed technical design and drawings of the post or other above ground contrivances;

(x) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety, of the overground telegraph infrastructure;

(xi) certification, by a structural engineer, attesting to the structural safety of the building, where the post or other above ground contrivances is proposed to be established on a building;

(xii) the names and contact details of the employees of the licensee for the purposes of communication in regard to the application made;

(xiii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and

(xiv) any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government or appropriate State Government or appropriate local authority.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that the one-time fee, to meet administrative expenses, accompanying every application shall not exceed ten thousand rupees.

10. Grant of permission by appropriate authority.-(1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

(a) the extent of land required for the overground telegraph infrastructure;

(b) the location proposed;

(c) the approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for transmission of Radio waves or Hertzian waves;

(d) the mode of and time duration for execution of the work;

(e) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;

(f) assessment of the inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the establishment or maintenance of the overground telegraph infrastructure, and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;

(g) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety of the overground telegraph infrastructure;

(h) certification, by a structural engineer, of the structural safety of the building on which the post or other above ground contrivances is proposed to be established;

(i) any other matter, consistent with the provision of the Act and these rules, connected with or related to the laying of overground telegraph infrastructure, through a general or special order or guidelines by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority:

(2) Where the establishment of the overground telegraph infrastructure renders the immoveable property, vested in the control or management of any appropriate authority over which such overground telegraph infrastructure is established, unlikely to be used for any other purpose, the appropriate authority shall be entitled to compensation for the value of the immoveable property, either once or annually, assessed on such rates as that appropriate authority may, by general order, specify.

(3) The appropriate authority shall, within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 9 -

(a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety or structural safety and payment of restoration charge or compensation , subject to the provisions of the Act and these rules; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection:

2196953/2022/00 0 -1

0/0/2018

संख्याः-852/78-1-2018-45आई0टी0/2016

अनुलग्नक -2

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायतशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2018

विषयः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

2 भारत सरकार द्वारा निर्गत "भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016" के अध्याय 1 के प्रस्तर 4 उप-प्रस्तर (2) में निम्नवत् व्यवस्था हैः-

(2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया विकसित करेंगे।
परंतु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियंत्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी।

3 भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के क्रम में नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख रखाव (ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तों/ नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश सं0-72/ नौ79-18- 161ज/12 दिनांक 08-02-2018 निर्गत किया गया है।

4 अतः भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/ मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों तथा ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑन लाईन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैंः-

ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया

5 दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत करते हुए प्रदेश शासन के विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/ अनापत्तियों हेतु एक ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया होगी।

'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स'

6 इस ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑन लाइन पोर्टल विकसित कराया जायेगा जो 'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स' के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवं उनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2196953/2022/00 0 -1

समयबद्ध रूप से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों/प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा, तथा इसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाओं/ अभिलेखों/अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एकसमान रूप से लागू

7 मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/ मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए जिन शासकीय विभागों/ प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि की भूमि/भवन से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे, उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों के लिए **ऑन लाईन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रक्रिया** राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/ पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर **उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत** एकसमान रूप से लागू होगी। वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में जो प्रतिबन्ध सुझाये गये हैं, उन्हें उनके द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली अनुमतियों में प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

8 भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषायें, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों के समाधान, किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन , तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया हेतु व्यवस्था दी गई है तथा आवेदनों हेतु एक-समान शुल्क एवं आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 के अध्याय-2 के प्रस्तर 6 (2) तथा अध्याय-3 के प्रस्तर 10 (3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित, "आवेदन की तारीख से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि" को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में "आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालिस) दिवसों से अनधिक की अवधि" पढ़ा जाये। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

9 नगर विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08-02-2018 के अन्तर्गत आच्छादित नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/ पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 **(परिशिष्ट-1)** द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेशों/ मार्गनिर्देशों/ नियमावलियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित कराये जायेंगे।

10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या 1126/78-आईटी-1-2001-81इले-98-टीसी, दिनांक 03 नवम्बर 2001 तथा स्थानीय प्राधिकारियों की भूमि पर "ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1508/ 78-आईटी- 1-2001, दिनांक 03 नवम्बर 2001 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को एतद्द्वारा अवक्रमित समझा जाये।

11 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियमों में किन्हीं संशोधनों के फलस्वरूप उक्त दिशा-निर्देशों को यथासमय संशोधित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2196953/2022/00 0 -1

संख्याः-852(1)78-1-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
9 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11 महालेखाकार, लेखा परीक्षा - प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
12 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
13 गोपन अनुभाग-1
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2196953/2022/00 0 -1

अनुलग्नक -3

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230588
CG-DL-E-21102021-230588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943
No. 606] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 749(अ).—केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में उल्लिखित किया गया है) में, प्रथम पैरा में, "मोबाइल टावर" शब्द के स्थान पर "मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (4) में, "स्थापन" शब्द के स्थान पर "स्थापन, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 9 में, उप-नियम (2) में, खंड (xiv) के बाद निम्नलिखित परन्तुकों को शामिल किया जाएगा:-

"परन्तु यह कि भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन के मामले में खंड (ii), (iii), (v), (ix), (x) और (xi) में उल्लिखित दस्तावेज अपेक्षित नहीं होंगे-:

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी को भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु बनाई गयी मार्ग योजना से संबंधित दस्तावेज भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे:".

5. (i) उक्त नियम में, नियम 10 में, उप-नियम (1) में, खंड (ञ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुकों को शामिल किया जाएगा:-

"परन्तु यह कि भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन की जांच करने के लिए खंड (क), (ख), (ग), (छ) और (ज) में उल्लिखित प्राचल अनिवार्य नहीं होंगे-:

परन्तु यह भी कि समुचित प्राधिकारी प्रस्तावित भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन के लिए मार्ग योजना की और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो इस प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तारयंत्र लाइन के या तो स्थापन या रख-रखाव में संभाव्य बाधा की जांच करेगा-.";

(ii) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा: -

"परन्तु यह कि जहाँ किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन को स्थापित किया जाता है; वहाँ स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए एक बार प्रतिकर स्थापित की गई तारयंत्र लाइन के प्रति किलोमीटर के लिए एक हजार रूपए से अधिक देय नहीं होगा -.";

(iii) उप-नियम (4) में, "स्थापन" शब्द के स्थान पर "स्थापन, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 2-41/2020-नीति]

हरि रंजन राव, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 15 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 21 अप्रैल, 2017 की सा.का.नि. 407(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2021

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening paragraph, for the words "mobile towers", the words "mobile towers and telegraph line" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (4), for the word "establishing", the words "establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), after clause (xiv), the following provisos shall be inserted, namely:–

2196953/2022/00 0 -1

"Provided that the documents mentioned in clauses (ii), (iii), (v) (ix), (x) and (xi) shall not be required in case of application made for establishment of overground telegraph line:—

Provided further that the documents related to route plan for establishment of overground telegraph line shall be required to be provided by the licensee with the application made for establishment of overground telegraph line:".

5. (i) In the said rules, in rule 10,- in sub-rule (1), after clause (i), the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided that the parameters mentioned in clauses (a), (b), (c), (g) and (h) shall not be necessary for examination of the application made for establishment of overground telegraph line:—

Provided further that the appropriate authority shall examine the route plan for the proposed overground telegraph line and the possible interference in regard to the establishment or maintenance of such overground telegraph line with regard to any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route:—";

(ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that in cases where the overground telegraph line is established over the immovable property, vested in the control or management of any appropriate authority, then in such cases, one time compensation shall be payable for the value of the immovable property, not exceeding one thousand rupees per kilometer of the overground telegraph line established:—";

(iii) in sub-rule (4), for the word "establishing", the words "establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting" shall be substituted.

[F. No. 2-41/2020-Policy]

HARI RANJAN RAO, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 2016 and further amended *vide* G.S.R. 407(E), dated the 21st April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR